

प्रेषक,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव ,
उOप्रO शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माO उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर,2017
विषय:- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ई-कोर्टस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु
सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम सहायक के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2354/XXXIV/CPC/e-Courts
दिनांक 23 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल
महोदय ई-कोर्टस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में
सिस्टम आफिसर के 71 पद वेतनमान रू0 9300-34800/- ग्रेड पे रू0
4600/- (पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार-44900-142400, लेवल-7)
तथा सिस्टम सहायक के 71 पद वेतनमान रू0 5200-20200/- ग्रेड पे रू0
2800/- (पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार-29200-92300, लेवल-5) का
संलग्नक के विवरणानुसार इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक
28-02-2018 तक के लिये, यदि बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही ये
पद समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
हैं ।

3- उक्त हेतु नियमावली तैयार करते हुये भर्ती की कार्यवाही की जायेगी ।

4- उक्त के फलस्वरूप जैसे-जैसे नवसृजित पद नियमावली की व्यवस्था के
अनुसार भरते जायेंगे पूर्व मे निर्गत शासनादेश संख्या- 200/सात-न्याय-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2013-85जी/2011 दिनांक 02-01-2014 एवं शासनादेश संख्या-26/2015/1619/सात-न्याय-2-2015- 85जी/2011 दिनांक 03-12-2015 का प्रभाव स्वतःसमाप्त हो जायेगा।

5- उपर्युक्त न्यायालयों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “ 2014-न्याय प्रशासन-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश ” के अन्तर्गत विभिन्न सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12- 1413 /दस 2017-85जी/2011 दिनांक 22 दिसम्बर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-उमेश कुमार,

प्रमुख सचिव।

संख्या- 17/2017/1239(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) नई दिल्ली ।
- 2- संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) (सेवार्ये), मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 3- समस्त जिलाधिकारी 30प्र0 । (जनपद अमेठी, शामली,हापुड तथा सम्भल को छोडकर)
- 4- समस्त जनपद न्यायाधीश, 30प्र0 ।(जनपद अमेठी, शामली,हापुड तथा सम्भल को छोडकर)
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0 ।(जनपद अमेठी, शामली, हापुड तथा सम्भल को छोडकर)
- 6- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, 30प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 ।
- 9- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 ।
- 10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
- 10- नियुक्ति अनुभाग-4/ न्याय अनुभाग-9(बजट) ।
- 11-पुस्तकालयाध्यक्ष, न्याय एव विधि परामर्शी, उOप्रO शासन ।
- 12-संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
हO/-राजेश पति त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 17/2017/1239/सात-न्याय-2-2017-85जी/2011,

दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक।

क्र०सं०	जनपद न्यायालय का नाम	सिस्टम आफिसर के पदों की संख्या	सिस्टम सहायक के पदों की संख्या
1-	आगरा	01	01
2-	अलीगढ़	01	01
3-	इलाहाबाद	01	01
4-	अम्बेडकर नगर स्थित अकबरपुर	01	01
5-	औरैया	01	01
6-	आजमगढ़	01	01
7-	बागपत	01	01
8-	बहराइच	01	01
9-	बलिया	01	01
10-	बलरामपुर	01	01
11-	बांदा	01	01
12-	बाराबंकी	01	01
13-	बरेली	01	01
14-	बस्ती	01	01
15-	भदोही स्थित ज्ञानपुर	01	01
16-	बिजनौर	01	01
17-	बदायूं	01	01
18-	बुलन्दशहर	01	01
19-	चन्दौली	01	01
20-	चित्रकूट	01	01
21-	देवरिया	01	01
22-	एटा	01	01
23-	इटावा	01	01
24-	फैजाबाद	01	01
25-	फर्रुखाबाद	01	01
26-	फतेहपुर	01	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

27-	फिरोजाबाद	01	01
28-	गौतमबुद्धनगर	01	01
29-	गाजियाबाद	01	01
30-	गाजीपुर	01	01
31-	गोण्डा	01	01
32-	गोरखपुर	01	01
33-	हमीरपुर	01	01
32-	हरदोई	01	01
35-	हाथरस	01	01
36-	जालौन स्थित उरई	01	01
37-	जौनपुर	01	01
38-	झांसी	01	01
39-	अमरोहा	01	01
40-	कन्नौज	01	01
41-	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	01	01
42-	कानपुर नगर	01	01
43-	कासगंज (कांसीराम नगर)	01	01
44-	कौशाम्बी	01	01
45-	कुशीनगर स्थित पडरौना	01	01
46-	लखीमपुर खीरी	01	01
47-	ललितपुर	01	01
48-	लखनऊ	01	01
49-	महाराजगंज	01	01
50-	महोबा	01	01
51-	मैनपुरी	01	01
52-	मथुरा	01	01
53-	मऊ	01	01
54-	मेरठ	01	01
55-	मिर्जापुर	01	01
56-	मुरादाबाद	01	01
57-	मुजफ्फर नगर	01	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

58-	पीलीभीत	01	01
59-	प्रतापगढ	01	01
60-	रायबरेली	01	01
61-	रामपुर	01	01
62-	सहारनपुर	01	01
63-	सन्त कबीर नगर	01	01
64-	शाहजहांपुर	01	01
65-	श्रावस्ती	01	01
66-	सिद्धार्थनगर	01	01
67-	सीतापुर	01	01
68-	सोनभद्र	01	01
69-	सुल्तानपुर	01	01
70-	उन्नाव	01	01
71-	वाराणसी	01	01
	कुल योग	71	71

ह0/-राजेश पति त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।